भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3710

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 के लिए प्रश्न

कुक्कुट पालन का आधुनिकीकरण

3710. श्री सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. डी.एन.वी.सेंथिलकुमार एस.:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश विशेषकर शुष्क और असिंचित क्षेत्रों में कुक्कुट पालन के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में कुक्कुट उत्पादों की वास्तविक मांग का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(ग) क्या सरकार द्वारा कुक्कुट रोग के प्रकोप और निदान तथा अपशिष्ट प्रबंधन करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि कुक्कुट पालन करने वाले किसानों को हर वर्ष भारी नुकसान उठाना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष में कुक्कुट पालन करने वाले किसानों को हुई अनुमानित हानि का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कुक्कुट किसानों को कितनी मुआवजा राशि दी गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) पशुपालन और डेयरी विभाग ने हाल ही में देश में कुक्कुट पालन के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) के तहत तकनीकी रूप से सहायता प्राप्त (आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत/अद्यतन कुक्कुट फार्म) शुरू किया है।

(ख) देश में कुक्कुट उत्पादों की वास्तविक मांग के लिए ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(ग) पशुपालन और डेयरी विभाग "पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण" (एलएच और डीसी) के तहत एक योजना नामत: "पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता" (एएसडीएडी) क्रियान्वित कर रहा है जो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कुक्कुट रोगों के टीकाकरण को कवर करता है जिसमें आकस्मिक और विदेशी रोगों जैसे एवियन इंफ्लूएंजा का नियंत्रण और निवारण भी शामिल है। विभाग ने एवियन इंफ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और निवारण के लिए कार्य योजना विकसित की है जिसका निर्माण वर्ष 2005 में और वर्ष 2006, 2012, 2015 और 2021 में संशोधन किया गया था।

एलएच और डीसी योजना के तहत जिला स्तर पर नैदानिक प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों के शीघ्र और प्रभावी निदान के लिए 6 क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाएं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के तहत राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (एनआईएचएसएडी) को एवियन इंफ्लूएंजा के निदान के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा भी वित्तीय रूप से सहायता दी जाती है: ।. डिल्यूशन, अम्लीकरण और कार्बनीकरण (डीएसी) प्रौद्योगिकी: सभी मौसम में बायोगैस सृजन विशेष रूप से कुक्कुट मलमूत्र के लिए उपयोग किया जाता है और आगे खेती में खाद के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि बायोगैस उत्पादन के लिए केवल कुक्कुट मूलमत्र की आवश्यकता होती है। इस्तेमाल किये गये घोल का अच्छा खाद मान और अंकुरण क्षमता (>90%) होती है, इसे पौधों पर जलने का प्रभाव डाले बिना आसानी से खेती में उपयोग किया जा सकता है जो क्रूड कुक्कुट मलमूत्र के साथ एक सामान्य समस्या है। इस प्रौद्योगिकी का समग्र प्रभाव पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना, कुक्कुट उत्पादन को किफायती बनाना और कुक्कुट स्थापनाओं के लिए अतिरिक्त आय सृजित करना है। ॥. कुक्कुट अपशिष्ट की एरोबिक खाद: रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में जैविक खेती में उपयोग के लिए खाद में बदलने हेतु विभिन्न कुक्कुट अपशिष्ट और कार्बनयुक्त पदार्थों (पेड की पत्तियों, घासों और पौधों के अन्य अपशिष्ट) का उपयोग करके (कूडे, मलमूत्र हैचरी के अपशिष्ट, मृतकों आदि) का मानकीकरण किया गया है। ये दो प्रौद्योगिकीयां कुक्कुट स्थापनाओं से प्रदूषण, बुरी गंध और मक्खियों को कम करेंगी। इसके अलावा, आईसीएआर संस्थानों में कुक्कुट मलमूत्र अपशिष्ट (केज लिटर) से वर्मी-कंपोस्ट की तैयारी का भी अभ्यास किया जा रहा है।

(घ) और (ड.) जी, नहीं। इस प्रकार के किसी डाटा का रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, “पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण” (एलएच और डीसी) के तहत “पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता” (एएससीएडी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एवियन इंफ्लूएंजा के नियंत्रण और निवारण हेतु 1387.14 लाख रु. की राशि जारी की गई थी जिसमें उन किसानों के लिए मुआवजा भी शामिल है जिनके पक्षियों को मार दिया गया, अंडों और चारे को नष्ट कर दिया गया।

****